प्लेंसबरो में यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर ऑफ प्रिंसटन
प्लेंसबरो, न्यू जर्सी

<table>
<tr><td colspan="2">शीर्षक: वित्तीय सहायता नीति (फाइनैंशियल असिस्टैंस पॉलिसी - "FAP")</td><td colspan="1">देखभाल/सेवा का स्वरूप: रोगी सम्बन्धी वित्तीय सेवायें</td></tr>
<tr><td>प्रस्तुतकर्ता: कैरल बर्कहैड (Carol Burkhead), A/R प्रबंधक, रोगी सम्बन्धी वित्तीय सेवायें</td><td rowspan="2">प्रशासनिक मंजूरी:
कार्यकारी निदेशक, रेवेन्यु सायकल प्रबंधन</td><td>प्रभावी तारीख: 1/1/2016</td></tr>
<tr><td rowspan="3">वितरण:
रेवेन्यु सायकल मैन्युअल</td><td>अगली समीक्षा की तारीख: 12/2016</td></tr>
<tr><td rowspan="2">समिति की मंजूरी: लागू नहीं</td><td>का स्थान लेता है: लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>पृष्ठ 1/9</td></tr>
</table>

I. <u>उद्देश्य</u>

यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्लेंसबरो में यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर ऑफ प्रिंसटन ("UMCP") और उसकी अस्पताल सम्बन्धी सुविधायें, आवश्यक आपातकालीन या चिकित्सीय रूप से आवश्यक अन्य हेल्थकेयर सेवायें प्राप्त करने वाले रोगियों के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में आंतरिक राजस्व सेवा नियमन 130266-11, आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 501(r), N.J.A.C. 10:52 और न्यू जर्सी बिल (S-1797/A-2609), सार्वजनिक कानून 2008, अध्याय 60 में उल्लिखित मार्गनिर्देशों का अनुपालन करते हैं।

II. <u>नीति</u>

UMCP उपलब्ध वित्तीय सहायता कार्यक्रमों, पात्रता सम्बन्धी आवश्यकताओं, रोगियों से वसूली जाने वाली राशियों की गणना, वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने की विधि और गैर-अदायगी की दशा में की जाने वाली कार्यवाहियों के सम्बन्ध में रोगी सूचना मापदंड का पालन करता है। UMCP सस्ती देखभाल सम्बन्धी सभी अधिनियम और स्टेट चैरिटी केयर सम्बन्धी मार्गनिर्देशों का पालन करता है। UMCP अबीमित प्रतिपूर्ति सीमायें सम्बन्धी कानून (बिल S-1797/A-2609) के सम्बन्ध में न्यू जर्सी के कानून का पालन करता है।

UMCP व्यक्तियों को, बिना किसी भेदभाव के, उनकी वित्तीय सहायता की पात्रता या भुगतान करने की सामर्थ्य की परवाह किए बिना, आपातकालीन चिकित्सीय स्थितियों के लिए देखभाल प्रदान करेगा। 1986 के संघीय आपातकालीन चिकित्सीय उपचार और सक्रिय श्रम परिवहन अधिनियम (इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ऐक्टिव लेबर ट्रांसपोर्ट ऐक्ट - "EMTALA") का अनुपालन करना UMCP की नीति है।

यह नीति ऐसे स्वतंत्र सेवा-प्रदाताओं को कवर नहीं करती है जो UMCP की किसी अस्पताल सम्बन्धी सुविधा में चिकित्सकीय रूप से आवश्यक और/या आपातकालीन सेवायें उपलब्ध कराते हों। इन स्वतंत्र

सेवा-प्रदाताओं की एक सूची ("प्रदाता सूची") इस FAP के साथ परिशिष्ट A के रूप में संलग्न है और UMCPP की वेबसाइट: www.princetonhcs.org पर उपलब्ध है। प्रदाता सूची इस बाबत ब्यौरा देती है कि इस FAP के अंतर्गत कौनसे प्रदाता कवर होते हैं और कौनसे नहीं। प्रदाता सूची की तिमाही समीक्षा की जायेगी और यदि आवश्यक हुआ, तो उसे अद्यतन बनाया जायेगा।

III. कार्यविधि एवं पात्रता सम्बन्धी आवश्यकतायें

यह पता लगाने के लिए कि क्या वे FAP-पात्रता के निर्धारण से पूर्व बीमा के लिए योग्य हैं, किसी UMCP वित्तीय सहायता सम्बन्धी सलाहकार द्वारा सभी रोगियों की जांच की जाएगी। इस FAP के अंतर्गत योग्य व्यक्तियों के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता कार्यक्रमों में नीचे दिये गये कार्यक्रम शामिल हैं।

- **मेडिकेड**;
- **न्यू जर्सी फैमिलीकेयर**;
- **न्यू जर्सी हॉस्पिटल केयर भुगतान सहायता कार्यक्रम ("चैरिटी केयर")**;
- **न्यू जर्सी अबीमित छूट**;
- **भयावह बीमारी में बच्चों का राहत कोष**;
- **अपराध मुआवज़ा कार्यालय के NJ पीड़ित व्यक्ति**; **और**
- **आमतौर पर बिल की जाने वाली राशियां (अमाउंट्स जनरली बिल्ड - AGB)**

पात्रता सम्बन्धी आवश्यकतायें:

मेडिकेड

मेडिकेड बच्चों, गर्भवती महिलाओं, माता-पिता, वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक असमर्थताओं वाले व्यक्तियों सहित लाखों अमेरिकी लोगों को हेल्थ कवरेज प्रदान करती है। सामान्य तौर पर इस लाभ कार्यक्रम के लिए, रोगी को संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक, कानूनी विदेशी व्यक्ति या स्थायी निवासी होना चाहिए, और वह निम्न आय वाला होना चाहिये। इसके अलावा, रोगियों को न्यू जर्सी राज्य का निवासी भी होना चाहिए। न्यू जर्सी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मेडिकेड के कई प्रकार उपलब्ध हैं। UMCP वित्तीय सलाहकार हर रोगी की परिस्थितियों पर आधारित पात्रता का निर्धारण करने में मदद करेंगे।

NJ फैमिलीकेयर

NJ फैमिलीकेयर न्यू जर्सी का सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है जिसमें CHIP, मेडिकेड और मेडिकेड विस्तार आबादियां शामिल हैं। NJ फैमिलीकेयर किसी भी उम्र के योग्य न्यू जर्सी निवासियों को सस्ता स्वास्थ्य बीमा सुलभ कराने में मदद करने के लिए बनाया गया एक संघीय और राज्य वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है। NJ फैमिलीकेयर ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास नियोक्ता बीमा नहीं है।

NJ फैमिलीकेयर के लिए पात्रता के इच्छुक व्यक्तियों के लिए वित्तीय पात्रता उनके संशोधित समायोजित सकल आय (मोडिफाइड ऐडजस्टेड ग्रोस इनकम) या MAGI पर आधारित होगी। NJ फैमिलीकेयर के पात्रता सम्बन्धी मार्गनिर्देश न्यू जर्सी राज्य के द्वारा स्थापित किये गये हैं और वे

www.NJFamilyCare.org पर मिल सकते हैं। किसी रोगी को बारह महीने की अवधि में केवल एक बार ही NJ फैमिलीकेयर के लिए पात्र माना जा सकता है।

चैरिटी केयर

चैरिटी केयर सहायता मुफ्त या रियायती दामों वाली देखभल है जो ऐसे रोगियों के लिए उपलब्ध है जो पूरे न्यू जर्सी राज्य में विकट देखभाल सम्बन्धी अस्पतालों में भर्ती रोगियों और वाहय रोगियों से सम्बन्धित सेवायें प्राप्त करते हैं। चैरिटी केयर से सम्बन्धित छूट NJAC 10:52, उपअध्याय 11, 12, 13 में स्थापित विनियमों के अनुरूप हैं।

चैरिटी केयर न्यू जर्सी के ऐसे निवासियों के लिए उपलब्ध है:

1. जिनके पास कोई हेल्थ कवरेज नहीं हो या ऐसा कवरेज हो जोकि बिल की केवल आंशिक अदायगी ही करता हो;
2. जो किसी भी निजी या सरकार द्वारा प्रायोजित कवरेज (जैसे कि मेडिकेड) के लिए अयोग्य हों; और
3. जो नीचे वर्णित आय और सम्पत्तियों के मापदंड को पूरा करते हों।

चैरिटी केयर उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो राज्य या संघीय कार्यक्रमों के लिए योग्य नहीं ठहराये गये हों।

आय सम्बन्धी मापदंड - ऐसे रोगी जिनके परिवार की सकल आय संघीय गरीबी मार्गनिर्देशों ("FPG") के 200% से कम या उसके बराबर है, वे 100% चैरिटी केयर कवरेज के लिए योग्य हैं। ऐसे रोगी जिनके परिवार की सकल आय FPG के 200% से अधिक लेकिन उसके 300% से कम या उसके बराबर है, वे चैरिटी केयर कार्यक्रम के अंतर्गत रियायती देखभाल के लिए योग्य हैं। मुफ्त या रियायती दाम निम्नलिखित शुल्क अनुसूची द्वारा निर्धारित किये जाते हैं:

HHS गरीबी आय सम्बन्धी मार्गनिर्देशों की प्रतिशतता के रूप में आय	**रोगी द्वारा अदा की जाने वाली मेडिकेड दर की प्रतिशतता**
200% से कम या उसके बराबर	मेडिकेड दर का 0%
200% से अधिक लेकिन 225% से कम या उसके बराबर	मेडिकेड दर का 20%
225% से अधिक लेकिन 250% से कम या उसके बराबर	मेडिकेड दर का 40%
250% से अधिक लेकिन 275% से कम या उसके बराबर	मेडिकेड दर का 60%
275% से अधिक लेकिन 300% से कम या उसके बराबर	मेडिकेड दर का 80%
300% से अधिक	अबीमित रियायत दर उपलब्ध

सम्पत्ति सम्बन्धी मापदंड – पात्र होने के लिए सेवा की तारीख पर किसी रोगी की वैयक्तिक सम्पत्तियां $7,500 से अधिक नहीं हो सकती हैं और परिवार की सम्पत्तियां $15,000 से अधिक नहीं हो सकती हैं।

न्यू जर्सी के गैर-निवासियों को चैरिटी केयर विशिष्ट प्रावधानों के आधीन (जैसे कि आपातकालीन

चिकित्सीय स्थितियां) उपलब्ध हो सकती है।

चैरिटी केयर केवल आपात स्थिति या चिकित्सकीय रूप से आवश्यक अस्पताल की अन्य देखभाल के लिए ही उपलब्ध है। कुछ सेवायें, जैसे कि चिकित्सक की फीस, ऐनेस्थिसियोलॉजी फीस, और रेडियोलॉजी व्याख्या फीस अस्पताल के दामों से अलग हैं और हो सकता है कि इनमें कमी नहीं की जा सकती हो। कृपया इस FAP के खंड II में उल्लिखित और परिशिष्ट A के रूप में शामिल प्रदाता सूची देखें।

न्यू जर्सी अबीमित छूट

न्यू जर्सी अबीमित छूट (NJ कानून - बिल S-1797/A-2609) ऐसे अबीमित रोगियों के लिए उपलब्ध है जिनके परिवार की सकल आय FPG के 500% से कम है। हालाँकि, UMCP ने इस छूट को आय के स्तर या निवास का विचार किये बिना सभी अबीमित रोगियों के लिए लागू करने का निर्णय लिया है। UMCP सभी अबीमित व्यक्तियों के लिए रियायती दरें प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, पात्र रोगी से मेडिकेयर शुल्क अनुसूची के 115% से अधिक दाम नहीं वसूले जायेंगे। अबीमित बिलिंग सीमायें NJ P.L.2008 c60 के अनुरूप हैं।

भयावह बीमारी में बच्चों का राहत कोष

भयावह बीमारी में बच्चों का राहत कोष (कैटस्ट्रॉफिक इलनेस इन चिल्ड्रेन रिलीफ फंड), विनाशकारी बीमारी वाले बच्चों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इसका पात्र होने के लिए अस्पताल के खर्चे, परिवार की सकल आय के 10% और $100,000 से अधिक किसी भी आय के 15% के योग से अधिक होने चाहियें, चिकित्सीय खर्चे किये जाने के समय बच्चे की उम्र 21 वर्ष या उससे कम होनी चाहिये और आवेदन की तारीख से ठीक पहले 3 महीनों तक परिवार न्यू जर्सी में रहा होना चाहिये। अतिरिक्त जानकारी निम्नलिखित वेबसाइट: www.state.nj.us/humanservices/cicrf/home पर मिल सकती है।

अपराध मुआवज़ा कार्यालय के न्यू जर्सी के पीड़ित व्यक्ति (न्यू जर्सी विक्टिम्स ऑफ क्राइम कम्पेंसेशन ऑफिस)

न्यू जर्सी राज्य ने अपराध के पीडित व्यक्तियों की घाटे और खर्चों, जिनमें कुछ अपराधिक कृत्यों के कारण उत्पन्न होने वाले चिकित्सीय खर्चे शामिल हैं, की क्षतिपूर्ति करने के लिए अपराध मुआवज़ा कार्यालय के न्यू जर्सी के पीड़ित व्यक्तियों की स्थापना की है।

अपराध मुआवज़ा कार्यालय के न्यू जर्सी के पीड़ित व्यक्तियों हेतु योग्य होने के लिए, अपराध न्यू जर्सी में हुआ होना चाहिये या राज्य से बाहर पीड़ित किसी न्यू जर्सी निवासी से सम्बन्धित होना चाहिये, पीड़ित व्यक्ति को 9 माह के भीतर पुलिस को अपराध के बारे में रिपोर्ट किया होना चाहिये और पीड़ित व्यक्ति को जांच-पड़ताल और अपराध के खिलाफ मुकदमा चलाने में सहयोग करना चाहिये। अपराध की तारीख से 3 वर्षों के भीतर दावा दायर कर दिया जाना चाहिये और रोगी अपराध का निर्दोष शिकार होना चाहिये। अतिरिक्त जानकारी वेबसाइट: www.nj.gov/oag/njvictims/index.html पर प्राप्त की जा सकती है।

आमतौर पर बिल की जाने वाली राशि (अमाउंट जनरली बिल्ड - AGB)

आंतरिक राजस्व संहिता §501(r)(5) के अनुसार, आपातकालीन या चिकित्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल के मामले में, FAP-पात्र रोगियों से ऐसी देखभाल को कवर करने वाला बीमा रखने व्यक्ति के मुकाबले अधिक दाम नहीं वसूले जायेंगे।

इस FAP के अंतर्गत सहायता के लिए योग्य सभी रोगी इस छूट के लिए पात्र हो सकते हैं। इसमें अबीमित रोगी और कम राशि का बीमा रखने वाले रोगी शामिल हैं यदि उनके परिवार की सकल आय FPG के 200% से अधिक लेकिन उसके 300% से कम या उसके बराबर हो।

IV. रोगियों से वसूल की जाने वाली राशियों की गणना

UMCP ने AGB प्रतिशतता की गणना करने के लिए लुक-बैक विधि को अपनाया है। AGB प्रतिशतता की गणना 12 महीनों की अवधि में मेडिकेयर-सेवा-के लिए-शुल्क और निजी स्वास्थ्य बीमा कम्पनियों के द्वारा अनुमत सभी दावों, फिर इन दावों से जुड़े हुए सकल दामों से भाग देने के आधार पर सालाना तौर पर की जाती है।

AGB प्रतिशतता से सम्बन्धित अतिरिक्त जानकारी और उस प्रतिशतता की गणना कैसे की गयी थी इस बाबत जानकारी मांगे जाने पर उपलब्ध है।

आंतरिक राजस्व संहिता §501(r)(5) के अनुसार FAP-पात्र निर्धारित किये जाने वाले किसी भी व्यक्ति से आपातकालीन या चिकित्सीय रूप से आवश्यक अन्य हेल्थकेयर सेवाओं के लिए AGB से अधिक दाम वसूल नहीं किये जायेंगे। AGB का पता लगाने के लिए सकल दाम पर लागू AGB % लगाया जायेगा।

किसी भी FAP-पात्र व्यक्ति से हमेशा AGB की कम या इस FAP के अंतर्गत उपलब्ध कोई भी रियायती दर पर दाम वसूल किये जायेंगे।

V. वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने की विधि

UMCP वित्तीय सहायता हेतु पात्र रोगियों के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता कार्यक्रमों की रोगी सूचना सम्बन्धी आवश्यकताओं का पालन करता है।

सभी अबीमित व्यक्ति, चाहे उनकी आय का स्तर या निवास सम्बन्धी स्थिति कुछ भी हो, न्यू जर्सी अबीमित छूट के लिए पात्र हैं।

चैरिटी केयर के लिए अनुरोध और वित्तीय ज़रूरत का निर्धारण राजस्व चक्र में किसी भी समय किया जा सकता है। पात्रता सेवा की तारीख से होती है और पात्रता की अवधि प्राप्त की जाने वाली चैरिटी के प्रकार पर आधारित है। चैरिटी केयर के पात्रता मापदंड को पूरा करने वाले रोगियों को पूरा भरा हुआ आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये। पूरे भरे हुए आवेदन-पत्र में वे आवश्यक दस्तावेज शामिल होने चाहियें जो UMCP की आवश्यकता सूची, जोकि एक अलग दस्तावेज है और मांगे जाने पर उपलब्ध है तथा UMCP की वेबसाइट: www.princetonhcs.org पर शामिल है, में दिये गये हैं।

आवश्यक दस्तावेज, न्यू जर्सी हॉस्पिटल केयर सहायता कार्यक्रम में भागीदारी के लिए पूरे भरे हुए आवेदन ("आवेदन-पत्र") के साथ प्रस्तुत किये जाने चाहियें।

कोई आवेदक या जिम्मेदार पक्ष चैरिटी केयर या रियायती दामों वाली चैरिटी केयर के निर्धारण के लिए

सेवा की तारीख से एक वर्ष (365 दिन) तक या अस्पताल से छुट्टी होने के बाद पहली बिलिंग विवरणी से 240 दिनों तक, जो भी अधिक हो, किसी भी समय पूरा भरा हुआ आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

वित्तीय सहायता के लिए निर्धारण यथाशीघ्र किया जायेगा; पूरा भरा हुआ आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तारीख से 10 कार्यदिवसों के भीतर आवेदक को लिखित रूप से सूचित कर दिया जायेगा। यदि आवेदन में FAP-पात्रता का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज शामिल नहीं किये गये हैं, तो आवेदन-पत्र अधूरा माना जायेगा। यदि कोई अधूरा आवेदन-पत्र प्राप्त होता है, तो 10 कार्यदिवसों के भीतर आवेदक को लिखित रूप से सूचित कर दिया जायेगा। इस लिखित सूचना में FAP-पात्रता का निर्धारण किये जाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त जानकारी और/या दस्तावेज का ब्यौरा दिया जायेगा, साथ ही इसमें FAP के खंड VI में बतायी गयी UMCP नीति का सरल भाषा में सार ("प्लेन लैंग्वेज समरी - PLS") भी शामिल किया जायेगा। मांगे गये अतिरिक्त दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए रोगियों को उचित समयावधि; 30 दिन प्रदान की जायेगी। इसके अलावा, UMCP या उनकी तरफ से काम करने वाले कोई भी तृतीय पक्ष, जब तक FAP-पात्रता का निर्धारण नहीं हो जाता है, इस अवधि के दौरान भुगतान प्राप्त करने के लिए, इस FAP के खंड VII में बताये गये, कोई भी असाधारण वसूली कार्यों ("ECAs") को निलम्बित कर देंगे। चैरिटी केयर के अस्वीकृत आवेदनों के आवेदकों को इंकार के कारण लिखित में सूचित किये जायेंगे और उन्हें इस FAP के अंतर्गत उपलब्ध अन्य रियायतों की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी जायेगी।

आवेदन और विभाग की सम्पर्क सूचना UMCPP की वेबसाइट (http://www.princetonhcs.org) पर उपलब्ध है या इसके लिए डाक के जरिये, व्यक्तिगत रूप से मिल कर या वित्तीय सलाहकार से मिलने का समय निर्धारित करके अनुरोध किया जा सकता है।

डाक के जरिये आवेदन हेतु अनुरोध करने के लिए या वित्तीय सलाहकार से मिलने का समय निर्धारित करने के लिए रोगी (609) 853-7852 पर फोन कर सकता है।

कागज़ी प्रतियां निम्नलिखित पते पर स्थित UMCPP की रोगी सुलभता सेवायें से नि:शुल्क प्राप्त की जा सकती हैं:

University Medical Center of Princeton
One Plainsboro Road
Plainsboro, NJ 08536

रोगी सुलभता सेवायें ऐट्रियम के नजदीक सेंटर्स ऑफ केयर के भीतर स्थित है। इसका कार्य-समय सोमवार - शुक्रवार, सुबह 7:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक है।

पूरे भरे हुए आवेदन-पत्र (आवश्यक दस्तावेजों सहित) निम्नलिखित पते पर भेजे जाने या व्यक्तिगत रूप से सौंपे जाने चाहियें:

University Medical Center of Princeton
Patient Access Services, Financial Counselor
One Plainsboro Road, Office # T1144
Plainsboro, NJ 08536

रोगी के द्वारा पूरा भरा हुआ आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने पर, UMCP:

1. उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी ECAs निलम्बित कर देगा (UMCP की तरफ से काम करने वाले कोई भी तृतीय पक्ष भी ECAs निलम्बित कर देंगे);

2. समय से FAP-पात्रता का निर्धारण करेगा और उसका दस्तावेजीकरण करेगा; और
3. निर्धारण और निर्धारण के आधार के बारे में जिम्मेदार पक्ष या व्यक्ति को लिखित में सूचित करेगा।

यदि किसी रोगी को FAP-पात्र समझा जायेगा, तो UMCP:

1. एक बिलिंग विवरणी प्रदान करेगा जिसमें FAP-पात्र व्यक्ति पर बकाया राशि बतायी जायेगी, साथ ही यह भी कि उस राशि का निर्धारण किस प्रकार किया गया था और AGB से सम्बन्धित जानकारी किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है;
2. व्यक्ति के द्वारा किये गये अतिरिक्त भुगतानों की राशि वापस लौटायेगा; और
3. ऋण वसूलने के लिए रोगी के खिलाफ लिये गये कोई भी ECAs को वापस लिए जाने हेतु उपलब्ध सभी यथोचित कदम उठाने के लिए UMCP की तरफ से काम करने वाले कोई भी तृतीय पक्षों के साथ काम करेगा।

VI. FAP, आवेदन-पत्र एवं PLS का व्यापक रूप से प्रचार करने के लिए उपाय

UMCP ने इस FAP का एक PLS बनाया है। PLS एक ऐसा लिखित वक्तव्य है जो किसी व्यक्ति को यह सूचित करता है कि अस्पताल FAP के अंतर्गत वित्तीय सहायता देता है तथा स्पष्ट, संक्षिप्त, और समझने में आसान भाषा में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है।

UMCP' FAP, आवेदन-पत्र और PLS अंग्रेज़ी भाषा में और अंग्रेज़ी भाषा में सीमित प्रवीणता ("LEP") रखने वाली आबादियों, जो 1,000 व्यक्तियों या UMCP के प्राथमिक सेवा क्षेत्र के 5%, दोनों में से जो कम हो से मिल कर बनी हो, की प्राथमिक भाषा में उपलब्ध हैं। इसके अलावा, UMCP दुभाषिया और अनुवाद सम्बन्धी सेवायें प्रदान करता है, तथा देखने, बोलने, सुनने सम्बन्धी या संज्ञानात्मक दुर्बलताओं से पीड़ित रोगियों को उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाले ढंग में जानकारी प्रदान करता है।

FAP, आवेदन-पत्र और PLS सभी UMCPP की वेबसाइट: http://www.princetonhcs.org पर पोस्ट किये गये हैं, और मांगे जाने पर नि:शुल्क उपलब्ध हैं। कागज़ी प्रतियां अस्पताल के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध हैं, जिनमें आपातकालीन विभाग और प्रवेश/पंजीकरण विभाग शामिल हैं।

रोगियों को वित्तीय सहायता की उपलब्धता के बारे में सूचित करने के लिए संकेत-पट्ट या डिस्प्ले आपातकालीन कमरों में और प्रवेश/पंजीकरण विभागों में लगे हुए हैं। ये संकेत-पट्ट अंग्रेज़ी और स्पैनिश भाषा में लगे हुए हैं।

अस्पताल में भर्ती या अस्पताल से छुटी की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में सभी रोगियों को PLS की एक प्रति प्रदान की जायेगी।

सभी कार्यक्रमों की उपलब्धता बिलिंग विवरणियों पर दिखायी पड़ती है। हर बिलिंग विवरणी में विशिष्ट लिखित नोटिस शामिल होता है जो प्राप्तकर्ता को वित्तीय सहायता की उपलब्धता के बारे में सूचित करता है। विवरणी में वह वेबसाइट भी शामिल होती है जहाँ से व्यक्ति FAP, आवेदन-पत्र और PLS की प्रतियां प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा, इसमें वह टेलीफोन नम्बर भी शामिल होता है जिस पर वित्तीय सहायता की उपलब्धता और आवेदन प्रक्रिया के सम्बन्ध में कोई प्रश्न होने पर रोगी फोन कर सकते हैं।

यह सुनिश्चित करने के प्रयास में कि UMCP द्वारा सेवित समुदाय को इस FAP के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय सहायता कार्यक्रमों की जानकारी हो, UMCP अपने सामुदायिक शिक्षा विभाग के माध्यम से समुदाय में जानकारी का प्रसार करता है।

VII. <u>बिलिंग एवं वसूली</u>

रोगी सम्बन्धी वित्तीय सेवायें (पेशंट फाइनैंशियल सर्विसेस - “PFS”) विभाग सही और कानूनी परिचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संघीय, राज्य, स्थानीय और PFS द्वारा माने गये संविदात्मक विनियमों और मानकों का पालन करेगा। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:

1. बिलिंग सम्बन्धी कार्यविधियां, बीमा और भर्ती रोगी दोनों;
2. वसूली, अशोध्य ऋण और मेडिकेयर अशोध्य ऋण दोनों;
3. अशोध्य ऋण वसूली, दोनों "सामान्य" अशोध्य ऋण और मेडिकेयर अशोध्य ऋण; तथा
4. स्वास्थ्य सम्बन्धी संरक्षित जनकारी (“PHI”) की गोपनीयता और सुरक्षा बनाये रखना।

UMCP कोई भी ऐसे कार्यों में शामिल नहीं होगा जो व्यक्तियों को आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल प्राप्त करने से हतोत्साहित करते हों, जैसे कि आपातकालीन विभाग के रोगियों से आपातकालीन चिकित्सीय स्थितियों का उपचार प्राप्त करने से पहले भुगतान मांग कर या आपातकालीन विभाग या दूसरे ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर ऐसी गतिविधियां गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर आपातकालीन देखभाल के प्रावधान में बाधा डालती हों, ऋण वसूली की गतिविधियों की अनुमति देकर।

UMCP अपने आपातकालीन विभाग और अपनी मातृत्व क्लिनिक्स में रोगियों के लिए प्रकल्पित पात्रता निर्धारण का इस्तेमाल करता है। यदि कोई रोगी FAP के अंतर्गत उपलब्ध सबसे उदार सहायता से कम के लिए प्रकल्पित रूप से पात्र निर्धारित किया जाता है, तो UMCP रोगी को प्रकल्पित वित्तीय सहायता सम्बन्धी पात्रता निर्धारण के आधार के बारे में और इस बारे में कि वे और अधिक उदार सहायता के लिए किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं, लिखित रूप से, सूचित करेगा। इन मामलों में PLS की एक प्रति भी प्रदान की जायेगी।

UMCP "सूचना अवधि" की समाप्ति से पूर्व आंतरिक राजस्व संहिता §501(r)(6) के द्वारा परिभाषित कोई भी ECAs में शामिल नहीं होता है। सूचना अवधि 120 दिन की अवधि के रूप में परिभाषित की गयी है, जोकि अस्पताल से छुट्टी होने के बाद पहली बिलिंग विवरणी की तारीख से शुरू होती है, जिसमें रोगी के खिलाफ कोई भी ECAs शुरू नहीं किये जा सकते हैं।

सूचना अवधि के बाद UMCP, या उनकी तरफ से काम करने वाले पक्ष, रोगी के खिलाफ निम्नलिखित ECAs शुरू कर सकते हैं, यदि रोगी ने वित्तीय सहायता के लिए आवेदन नहीं किया हो या वह वित्तीय सहायता के लिए अयोग्य हो:

1. उपभोक्ता ऋण रिपोर्टिंग एजेंसियों या क्रेडिट ब्यूरो को व्यक्ति के बारे में प्रतिकूल जानकारी की रिपोर्टिंग करना;
2. व्यक्ति की सम्पत्ति पर ऋण चुकाये जाने तक अधिकार रखना;
3. व्यक्ति की अचल सम्पत्ति पर कब्जा करना;
4. व्यक्ति के खिलाफ दीवानी यानि सिविल कार्यवाही शुरू करना; और
5. व्यक्ति को निकाय कुर्की की याचिका के अधीन लाना।

UMCP सूचना अवधि के बाद दोषी रोगी के खातों पर ECAs आरम्भ करने के लिए तृतीय पक्ष को अधिकृत कर सकता है। UMCP सुनिश्चित करेगा कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या व्यक्ति इस FAP के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र है, समुचित प्रयास किये जा चुके हैं। UMCP किसी भी ECA की शुरुआत करने से कम से कम 30 दिन पहले निम्नलिखित कदम उठायेगा:

1. रोगी को लिखित नोटिस दे दिया गया है जिसमें:
   a. बताया गया है कि पात्र रोगियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है;
   b. उन ECAs के बारे में बतलाया गया है जिन्हें UMCP देखभाल का भुगतान प्राप्त करने के लिए शुरू करने का इरादा रखता है; और
   c. एक समय-सीमा तय की गयी है जिसके बाद ECAs शुरू किये जा सकते हैं।
2. रोगी को इस लिखित सूचना के साथ PLS की प्रति प्राप्त हो गयी है; और
3. व्यक्ति को FAP के बारे में और इस बारे में कि वित्तीय सहायता आवेदन प्रक्रिया सम्बन्धी सहायता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, मौखिक रूप से सूचित करने के यथोचित प्रयास किये जा चुके हैं।